

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी/व - चावण्डिया

भू अभिलेख निरीक्षक वि० जाटान की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेड़ी माता पटवार हल्का चावण्डिया तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्बत् 2025-78 में खाता संख्या 89 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
01	खेड़ी माता	89	रामा पुज सिद्धा कुमावत	रामलाल पुज सिद्धा कुमावत

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:-

क्रमांक/न्यायालय /2021

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा